देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्यगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/05 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 2 फरवरी 2024

नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाईन मे उड़ रही भवन विनियमों की धज्जियां!!

सिविल लाईन जोन मे स्थित भूखंड संख्या 749,रामनगर पर बिना सेटबेक-पार्किंग छोड़े,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए, सड़क सीमा मे छज्जे निकाल कर बन रही बहुमंजिला अवैध बिल्डिंग का मामला!!

भाग-1

मास्टर प्लान बचाओ अभियान

बिल्डर माफिया की चांदी!!जबकि निगम की जेब खाली!!

जोन उपायुक्त को अवैध निर्माणों की भनक तक नहीं!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है भूखंड संख्या 364,गुरुनानकपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग का मामला?

आपको बता दें कि महज 150 गज से भी कम के भूखंड संख्या 749,रामनगर,शास्त्रीनगर,तेरापंथी स्कूल के पास, पर स्थानीय भूखंड धारक द्वारा खुलकर अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है|सूत्रो के अनुसार इस भूखंड पर ग्राउन्ड फ्लोर सहित अवैध बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है|सूत्रों के अनुसार पूर्व मे इस भूखंड पर मकान बना हुआ था,लेकिन इस मकान के सेटबेक को कवर करते हुए,अब बिना पार्किंग व्यवस्था के अवैध बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है|बिल्डर द्वारा इस प्लॉट पर बन रही इस बिल्डिंग के ना तो नक्शे पास करवाए गए है और ना ही निर्माण हेतु नगर निगम से अनुमति|इस अवैध बिल्डिंग के निर्माण मे ना केवल सेटबेक नियमों और पार्किंग नियमों का खुलम-खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है बल्कि सड़क पर छज्जा निकाल कर सड़क सीमा मे भी अतिक्रण किया जा रहा है|सूत्रों के अनुसार इस भूखंड के स्टिल्ट फ्लोर यानि कि ग्राउन्ड फ्लोर पर भी फ्लेट बना दिए गए है|इस अवैध बिल्डिंग से स्थानीय आम जनों को परेशानी होना तो तय है ही,निगम को लाखो रुपयों के राजस्व की हानि होना तय है|लेकिन इसके बावजूद निगम के अधिकारी अपनी जेब भरने के चक्कर मे निगम को चुना लगाने पर तुले है|

वर्तमान मे चल रहा अवैध निर्माण

पूर्व मे बना हुआ मकान

ना पार्किंग ना सेटबैक,क्या होगा इस व्यस्ततम रोड का हाल?

आपको बता दें कि यह भूखंड 60 फीट की सड़क पर स्थित है जो कि सघन आबादी क्षेत्र है और इसके बावजूद इस भूखंड पर अवैध व्यवसायिक बिल्डिंग बनाई जा रही है|,बिना सेटबैक,बिना पार्किंग के बन रही इस अवैध बिल्डिंग के बन जाने से इस व्यस्ततम रोड का क्या हाल होगा यह आप भली-भांति जान चुके होंगे|

अवैध निर्माणों और आवासीय भवनों मे व्यवसायिक गतिविधियों के मामले मे उच्च न्यायालय द्वारा सख्ती करने के आदेश|

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माणों को नासूर की संज्ञा दी है|वही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डी.बी. सिविल रिट याचिका 1550/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले मे पारित राज उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कहा गया है कि मास्टर प्लान/ज़ोनल प्लान मे जिस क्षेत्र को निर्धारित(यथा आवासीय/व्यवसायिक/ संस्थानिक/अन्य) भू-उपयोग मे जिस क्षेत्र को निर्धारित किया गया है,उसी भू-उपयोग अनुसार उसकी अक्षरत: पालना की जाये|भवन विनियमों के विपरीत हो रहे अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत मे कंपाउंड नहीं किया जाकर,सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए|

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांक: 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(भवानी सिंह देथा) 18/7
शासन सचिव

क्रमांक: एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांक: 18.07.19
प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(उज्ज्वल राठौड़) 18/7/19
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्या इस अवैध निर्माण को सील करेंगे ज़ोन के उपायुक्त?

वैसे तो अवैध निर्माण हर सरकार के लिए एक गंभीर समस्या रही है|लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के तीखे तेवरों को देखते हुए लगता है कि यह सरकार अवैध निर्माणों को बक्शने वाली नहीं है और ना इ अवैध निर्माणों को शह देने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को|देखना यह है कि क्या इस अवैध बिल्डिंग का मामला स्थानीय जोन प्रशासन के संज्ञान मे है?और हमारे द्वारा इस मामले को सिविल लाईन ज़ोन के उपायुक्त के निजी संज्ञान मे लाने पर क्या उनके द्वारा जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते इस अवैध बिल्डिंग को सील किया जाएगा?

	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
1	भूखंड का पता	आवासीय भूखंड संख्या 749 रामनगर शास्त्री नगर
2	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों की पालना के,बिना पार्किंग बिना सेटबैक छोड़े,आवासीय भूखंड पर बहुमंजिला अवैध बिल्डिंग का निर्माण
3	बिल्डर/संबन्धित फर्म	अनाम
4	संबन्धित ज़ोन	नगर निगम हेरिटेज,सिविल लाईन ज़ोन
5	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	ज़ोन उपायुक्त श्री करतार सिंह
6	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	02/02/2024

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडो का पालन किया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यूडी टेक्स जमा करवा दिया गया है?
5. यह मामला हमारे द्वारा नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान मे लाने के बावजूद यदि इस मामले मे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी मे नहीं आता है?
6. क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

7. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है?क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?